तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही विवरण	नम्बर अहक हुक्म में ज
13/12/19	वकुलाय फरीकेन उपस्थित । श्रीमान ए.सी. साहब [illegible] कार्य में व्यस्त है । वास्ते आईन्दा कार्यवाही दिनांक 16-1-20 को पेश हो	
16/1/20	वकुलाय फरीकेन उपस्थित । वकील वादी ने जवाब पैरोकारराज बन्द करने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण अनन्य रूप से निजी खातेदारी भूमि के विरासतन नामान्तरकरण से सम्बन्धित है। अतः कोई राज्यहित निहित नहीं होना पाया जाता है। अतः जवाब पैरोकारराज बन्द किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं. 1 ने इकबालदावा पेश किया है अतः बहस वकील वादी सुनी गई। प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार विवादित कृषि भूमि में 1/2 हिस्से के खातेदार धर्मपाल का स्वर्गवास हो चुका है तथा धर्मपाल द्वारा उक्त भूमि स्वयं द्वारा अर्जित होना बताया गया है जिसकी वसीयत धर्मपाल द्वारा अपनी पत्नी वादीनी सुमित्रा के हक में किया जाना प्रकट होता है। प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार वाद में चाहा गया अनुतोष घोषणा स्वरूप का ना होकर मात्र विरासतन नामान्तरकरण दर्ज कर प्रमाणित करना ही अपेक्षित है जिसके लिए सक्षम अधिकारी भूमि धारक तहसीलदार है। उपरोक्त परिस्थितियों में मूलवाद इस न्यायालय द्वारा फैसल शुमार किया जा कर पत्रावली तहसीलदार राजगढ़ को प्रेषित कर मृतक धर्मपाल के हिस्से की भूमि का विरासतन नामान्तरकरण नियमानुसार दर्ज कर बाद सुनवाई निस्तारित किये जाने के निर्देश दिए जाते हैं। उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू)	